

सोवियत मंत्री विश्वविद्यालय

- *५१६. { श्री सरजू पाण्डेय :
 श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
 श्री विद्याचरण शुक्ल :
 श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
 श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
 श्री जाधव
 डा० राम सुभग सिंह :
 श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
 श्री जीवनचन्द्रन :
 श्री अमजद अली :
 डा० के० बी० मेनन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत मंत्री विश्व-विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय इसके लिए आवेदन-पत्र ले रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, मास्को के लोक मंत्री विश्वविद्यालय में ३५ साल की उम्र तक के स्त्री या पुरुष विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं, भले ही वे किसी भी जाति, राष्ट्र अथवा धर्म के हों। सभी विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति, निःशुल्क शिक्षा और आवास तथा मास्को पहुंचने और वहां से लौटने का सफ़र-खर्च मिलेगा।

सरकार ने सोवियत अधिकारियों को सूचित किया है कि लोक मंत्री विश्व-विद्यालय के लिए भारतीय विद्यार्थियों का चुनाव भारत सरकार द्वारा उसी प्रकार किया जाना चाहिये, जैसे कि विदेशी

सरकारों द्वारा प्रस्तावित अन्य छात्र-वृत्तियों के लिये किया जाता है, इन सरकारों में सोवियत संघ की सरकार भी आती है। सोवियत अधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अभी सरकार लोक मंत्री विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये भारतीय विद्यार्थियों के प्रार्थनापत्र नहीं ले रही है। जब ऊपर बताया गए व्योरे के सम्बन्ध में सोवियत अधिकारियों के साथ सहमति हो जाएगी तो वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालय उन भारतीय विद्यार्थियों के प्रार्थनापत्र आमंत्रित करेगा, जो कि लोक मंत्री विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहें।

Damua Colliery

*517. **Shri T. B. Vittal Rao:** Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) at what stage is the prosecution launched against the management of Damua Colliery who were held responsible for the accident in January, 1960 in that mine;

(b) whether any court of inquiry has been or will be appointed; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): (a) At the stage of hearing prosecution witnesses.

(b) and (c). A Court of Inquiry has been appointed under the Regulations to inquire into the conduct of the manager of the mine.

"Discovery of India"

*518. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri A. M. Tariq:
Sardar Iqbal Singh:
Shri D. C. Sharma:

Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Starred